**न्यायालयः अनुविभागीय अधिकारी (रा0) प्रतापपुर,जिला–सूरजपुर (छ0ग0)**

**प्ररूप –ड.**

**(नियम 7(2)देखिये)**

**/ /अनुज्ञा/ /**

क्रमांक 2345 /वाचक/2025 प्रतापपुर,दिनांक 20/06/2025

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि.(भ/स) उपसंभाग–सूरजपुर

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—0—

विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र कमांक 579/अनु.लि./2024–25 सूरजपुर दिनांक 12.09.2024 अनुसार नवीन व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। उक्त आबंटित भूमि ग्राम खोरमा प0ह0नं0 21 तहसील प्रतापपुर में खसरा नंबर 801/1 , 802/1 , 803/1 रकबा कमशः 0.81, 0.22, 0.20 कुल खसरा 03 योग रकबा 1.23 हे. भूमि मे स्थित लगभग 46 नग आम का वृक्ष है जिसकी कटाई के संबध में अनुमति चाही गई है । इस संबंध में ईश्तहार का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र घटती–घटना , छत्तीसगढ फटलाईन समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया । नियत अवधि तक कोई आक्षेप प्राप्त नहीं । ग्राम पंचायत खोरमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया । ग्राम पंचायत खोरमा द्वारा नवीन व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 28.11.2025 को जारी किया गया । संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2025 को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित शासकीय भूमि ग्राम खोरमा तहसील प्रतापपुर स्थित खसरा नंबर 801/1 , 802/1 , 803/1 रकबा कमशः 0.81, 0.22, 0.20 कुल खसरा 03 योग रकबा 1.23 हे. भूमि पर 46 नग आम का वृक्ष है । उपरोक्त वृक्ष किसी रोड, धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थल के किनारे पर नहीं है और न ही नदी, नाला के किनारे पर स्थित है । उक्त वृक्षों को काटने से भू–क्षरण होने की संभावना नही है और न ही पर्यावरण को क्षति होगी । आवेदन व जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया ।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम खोरमा तहसील प्रतापपुर प0ह0नं0 21 में स्थित खसरा नंबर 801/1 , 802/1 , 803/1 रकबा कमशः 0.81, 0.22, 0.20 कुल खसरा 03 योग रकबा 1.23 हे. भूमि पर 46 नग आम का

वृक्ष जिनकी प्रजाति आम वृक्ष 46 नग वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नहीं हो रहा है । अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनाक 11 फरवरी 2022 के कंडिका 3(छः) अनुसार ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हों के आधार पर **नवीन व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु** वर्णित खसरें में लोक प्रयोजन हेतु प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष 46 नग आम का वृक्ष कटाई पर अनुमति दी जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 7(2) के अनुसार छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वन मण्डलाधिकारी नियमानुसार वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करें ।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0),
प्रतापपुर जिला- सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
प्रतापपुर, सूरजपुर (छ.ग.)

पृ0कमांक 2345-A / वाचक / 2025 प्रतापपुर,दिनांक 20 / 06 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय प्रतापपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय सूरजपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सूरजपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी वन प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु ।
6. वन परिक्षेत्राधिकारी वन विभाग प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर,जिला–सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
प्रतापपुर, सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी प्रतापपुर, सूरजपुर (छ.ग.)

ok

CamScanner